प्रेस-विज्ञप्ति **14.11.2018**

दिनांक **14 नवम्बर, 2018** को अपरान्ह 03:00 बजे मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी एवं कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में "**GST एनुअल रिटर्न, रेकांसीलेशन, रिटर्न एवं ऑडिट"** पर सत्र का आयोजन किया गया।

मर्चेंट्स चैम्बर के अध्यक्ष बी.एम. गर्ग ने मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी एवं कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में "*GST की कार्यशाला" में* अनुभवी वक्ताओं CA हिमांशु सिंह, CA आशीष बंसल व् CA धर्मेन्द्र श्रीवास्तव, सहयोगी संस्थाओं के समस्त गणमान्य पदाधिकारियों, सदस्यों एवं मीडिया कर्मियों का हार्दिक स्वागत व् अभिनंदन किया। श्री गर्ग ने कहा कि GST कर प्रणाली में अभी भी GSTN Portal सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है। दूसरी ओर निर्यातकों के रिफंड का निस्तारण संतोषजनक रूप से नहीं हो पा रहा है। उद्योगों की पूंजी ब्लाक हो रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। GST रिफंड फिलिंग में यदि कोइ भूल हो जाती है, कुछ दिखाने रह जाता है, इस स्तिथि में रिटर्न को रेवाईस करने की सुविधा अभी तक सरकार द्वारा नहीं प्रदान की गई है, इसके कारण कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं करदेयता को कर देकर नुकासन उठाना पड़ रहा है। GST में वार्षिक रिटर्न अब दाखिल करने का समय आ गया है। GST का एक वार्षिक रिटर्न, रेकांसीलेशन स्टेटमेंट जो बही-खाते व् रिटर्नमें अंतर को दर्शायेगा। ऑडिटर से उनका सत्यापन भी कराया जाएगा। मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अपनी सहयोगी संस्थाओं कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी एवं कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशनके संयुक्त तत्वाधान में GST की आयोजित कार्यशाला में मर्चेंट चैम्बर के अध्यक्ष बी.एम. गर्ग ने व्यक्त किये।

GST कार्यशाला में वार्षिक रिटर्न एवं वार्षिक समाधान विवरण रिटर्न तथा GST ऑडिट के बारे में पॉवर पॉइंट वक्ताओं द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया।

प्रथम तकनीकी सत्र में CA हिमांशु सिंह ने बताया कि GST वार्षिक रिटर्न फॉर्म नम्बर 9 वित्तीय वर्ष 17-18 का 31/12/2018 तक ऑनलाइन अपलोड कर दाखिल किया जाना है इस रिटर्न में सभी प्रकार की बिक्री, खरीद, सेवा प्राप्त करने तथा सेवा प्रदान करने सम्बन्धी आकड़े समाहित किये जायेंगे। GST पोर्टल में रिटर्न फाइल करते समय डाटा को वर्गीकरण के हिसाब से अपलोड करना होगा। आयात व् निर्यात में आकड़े भी प्रस्तुत किये जायंगे। इस वार्षिक रिटर्न को सारी जानकारीयां कारोबारियों से मांगी जा रही है, अतः समस्याएं होंगी।

द्वितीय तकनीकी सत्र में CA आशीष बंसल का वार्षिक समाधान विवरण रिटर्न फॉर्म 9C में भी 31.12.2018 तक अपलोड किये जाने की अनिवार्यता की जानकारी दी गई। इस वार्षिक समाधान विवरण रिटर्न में gst के रिटर्न एवं वित्तीय वर्ष के आधार पर तैयार किये गए आय, व्यय, एवं आर्थिक

लेखा जोखा में यदि कोई अंतर है तब अंतर के समाधान की विस्तृत विवरण माँगा गया है। इस समाधान के अतिरिक्त GST की करदेयता आती है तो भुगतान आदि के विवरण मांगे गए है ।

तृतीय तकनीकी सत्र में CA धर्मेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा GST ऑडिट में विस्तृत रूपसे अवगत कराया गया है । 2 करोड़ रूपये सालाना विक्रय धन होने पर GST ऑडिट कराना होगा। GST ऑडिट रिपोर्ट वार्षिक रिटर्न के साथ प्रस्तुत करनी होगी । GST वार्षिक समाधान विवरण रिटर्न में ऑडिटर द्वारा विवरण को प्रमाणित एवं सत्यापित किया जायेगा । जिन बिंदुओं का रिटर्न एवं बहीखातों में समाधान नहीं हो सका है उसके बारे में GST की करदेयता कर की दरों एवं सभी केंद्रीयकर, राज्यकर, उपकर, लेट फीस, एवं अर्थदंड का विवरण में पार्ट 5 में देना होगा। यदि कोइ रिफंड गलत जारी हो गया है तो उसके विवरण देने होंगे। ऑडिटर को यह प्रमाणन व् सत्यापन हलफनामें में ब्यान के तर्ज पर प्रस्तुत करना होगा।

GST वर्कशॉप की अध्यक्षता श्री बी.एम. गर्ग एवं कार्यशाला का संचालन gst कमिटी के चेयरमैन श्री संतोष कुमार गुप्ता ने किया। आभार अध्यक्ष कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन CA गोविन्द कृष्णा ने व्यक्त किया। शंका-समाधान सत्र में वक्ताओं ने चार्टर्ड एकाउंटेंट, अधिवक्ताओं, एवं कारोबारियों की शंकाओं का समाधान किया। कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट सोसाइटी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ, सचिव् अमित पाण्डेय, मर्चेंट्स चैम्बर के सचिव महेन्द्र नाथ मोदी, इनकम टैक्स बार के सचिव अवधेश मिश्रा, सुनील त्रिवेदी, जे.पी.एस.भाटिया, नवल कपूर आदि उपस्थित थे।

सधन्यवाद

मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश,
कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी
एवं
कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन